



सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग और तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक
सुधार विभाग के संकल्पों, परिपत्रों आदि का संकलन
(COMPENDIUM OF RESOLUTIONS, CIRCULARS, ETC.
OF THE GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
AND FORMERLY PERSONNEL &
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT)

खण्ड - 2

VOLUME - 2

(2001 से अक्टूबर, 2010 तक के संकलित)

© बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग

वर्ष : 2010

बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लि० पटना 800 001 तथा
दि ऑफसेटर्स इंडिया प्रा. लि., 69/4 डॉ. टी. एन. बनर्जी रोड, छज्जुबाग, पटना 800 001 द्वारा मुद्रित।



सत्यमेव जयते

अनूप मुखर्जी

मुख्य सचिव, बिहार सरकार

CHIEF SECRETARY

GOVT. OF BIHAR

Main Secretariat, Patna-800015

मुख्य सचिवालय, पटना-८०००१५

Tel : 0612-2215804

Fax : 0612-2217085

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अद्यतन निर्गत अधिनियमों, नियमों, संकल्पों, परिपत्रों एवं आदेशों का संकलन प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें कार्मिक से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। यह संकलन सामान्य प्रशासन विभाग के साथ-साथ अन्य सरकारी विभागों एवं कार्यालयों को कार्य निष्पादन एवं निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होगा।

मुझे विश्वास है कि यह संकलन सभी विभागों के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में अत्यन्त ही उपयोगी साबित होगा। इससे न केवल सरकारी विभाग बल्कि सभी सरकारी सेवक लाभान्वित होंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग के जिन पदाधिकारियों एवं सहायकों ने इस संकलन को मूर्त रूप देने में अपना मूल्यवान योगदान दिया है, उन्हें मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

अम 4/11/10

(अनूप मुखर्जी)

प्राक्कथन

सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत सरकारी अनुदेशों/परिपत्रों/संकल्पों आदि का एक संकलन वर्ष 2001 में (दो खंडों में) प्रकाशित किया गया था। वर्ष 2001 से अबतक बहुत-से महत्वपूर्ण अनुदेश/परिपत्र/संकल्प इस विभाग से निर्गत हुए हैं जिनका संकलन आवश्यक समझा गया। इस प्रसंग में बिहार विधान परिषद् में आश्वासन भी दिया जा चुका है। इस संकलन कार्य के लिए श्री श्रीमोहन झा, प्रशाखा पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया।

श्री श्रीमोहन झा, प्रशाखा पदाधिकारी ने अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस संकलन कार्य को सम्पन्न किया है। संकलित अनुदेशों/परिपत्रों/संकल्पों के अध्यायीकरण, विषयसूची बनाने तथा पुस्तकाकार प्रदान कर दो खंडों में प्रेस कॉपी बनाने का कार्य भी उन्होंने ही किया है। उन्होंने जिस लगन एवं परिश्रम के साथ इस दुरूह कार्य को पूरा किया है उसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं।

इस कम्पेन्डियम को प्रकाशित करने में श्री अजय कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव की अहम भूमिका रही है। उन्होंने जिस लगन एवं तत्परता के साथ इसे प्रकाशित कराया है, वह प्रशंसनीय है।

यह विभाग श्री आशुतोष, भा.व.से., प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड, पटना का आभारी है, जिनके सहयोग के बिना इस कम्पेन्डियम का प्रकाशन सम्भव नहीं था।

प्रस्तुत संकलन के अनुदेश/परिपत्र/संकल्प आदि मूल अनुदेश/परिपत्र/संकल्प आदि के प्रतिरूप हैं। असंगति या अन्तर होने की दशा में मूल आदेश/परिपत्र/संकल्प आदि ही प्रमाणित माने जायेंगे।

इस संकलन के बारे में यदि कोई सुझाव हो अथवा इसमें कोई त्रुटि प्रतीत हो तो सामान्य प्रशासन विभाग इस संबंध में सुझावों का स्वागत करेगा।

पटना, दिनांक 16 नवम्बर, 2010



दीपक कुमार

प्रधान सचिव,

सामान्य प्रशासन विभाग,

बिहार, पटना।



खण्ड - 2
VOLUME - 2

Compiled by
Shrimohan Jha
Section Officer